बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांकः– भू.वि. / न.नि.बी. / 2022 / 18180 दिनांकः– 11/10/2022

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम बीकानेर की स्वीकृत आवासीय योजना के भूखण्डों की नीलामी राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अनुशरण में फ्री होल्ड के आधार पर निम्नानुसार तिथि को 11 बजे से सायं 04 बजे तक उनके सामने अंकित स्थानों पर की जायेगी।

क्र.स.	योजना का नाम	आवासीय भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का गाप फुट में	धरोहर राशि रूपये में	प्रारम्भिक बोली लाखों में	नीलामी स्थल	नीलामी दिनांक
1.	जवाहर सी. हा. सैकेण्डरी स्कूल के सामने उत्तर पूर्व कोने पर स्थित बिखरे भूखण्ड	4 5 6 7 कॉर्नर	20x34 20x34 20x34 20x34	10,000 10,000 10,000 10,000	9.00 9.00 9.00 9.00	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	18.10.2022
2.	सालमनाथ नगर आवासीय योजना	1 कॉर्नर 121 कॉर्नर 68 कॉर्नर	25x50 25x50 30x60	11,500 11,500 16,500	5.625 5.625 9.000	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	18.10.2022
3.	जवाहर सी. हा. सैकेण्डरी स्कूल के सामने उत्तर पूर्व कोने पर स्थित बिखरे भूखण्ड	1 कॉर्नर 2 3	20x34 20x34 20x34	10,000 10,000 10,000	9.00 9.00 9.00	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	19.10.2022
4.	सालमनाथ नगर आवासीय योजना	96 67 28	25x45 30x60 25x50	11,000 16,500 11,500	5.00 9.00 5.50	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	19.10.2022
5.	नवल विहार आवासीय योजना व्यवसायिक भूखण्ड 25	भूखण्ड सं. 25 दुकान नं. 01 से 05	दुकान नं. 01 10x15 कॉर्नर दुकान नं. 02 से 04 10x15 दुकान नं. 05 10x15 कॉर्नर	20,000 20,000 20,000 20,000	2.30 2.30 2.30 2.30	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	20.10.2022
6.	नवल विहार आवासीय योजना (जवाहर सी.हा. सैकेण्डरी स्कूल के सामने)	1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 5 कॉर्नर	20x46 20x46 20x46 20x46 20x46	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000	12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	बीकानेर नगर निगम गंगाशहर कार्यालय	21.10.2022

नीलामी की शर्तें:–

1. नीलामी बीकानेर नगर निगम द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी की शर्तें पढ़ी जायेगी।

लगातार पेज नं. 2

3. प्रत्येक बोलीदाता से नीलामी लगाने की अनुमति देने से पूर्व भूखण्ड के Bid Start Price की 2% Earnest Money (EMD) जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी जो बोली के अन्त में असफल बोलीदाता का वापिस लौटा दी जायेगी या सफल बोलीदाता की दशा में प्रीमियम के प्रति समायोजित कर ली जावेगी।

4. प्रत्येक भूखण्ड के लिये बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व में धरोहर अलग-अलग राशि नगर, बैंकर चैक/डी.डी. आयुक्त नगर निगम बीकानेर के नाम से जमा करवाकर बोली लगा सकता है।

5. नीलामी शुरू करने से नगर निगम की वेबसाईट पोर्टल पर बोली की शर्तों को प्रदर्शित किया जायेगा। किन्तु केवल एकल बोलीदाता द्वारा भागीदारी के कारण नीलामी रद्द नहीं की जाएगी।

6. सम्पति जहाँ स्थित है, जैसी है, के आधार पर नीलामी की जावेगी।

7. नीलामी समिति किसी भी समय बोली रद्द कर सकती है यदि यह पाया जाता है कि बोली ऊंची और पारदर्शी नहीं है।

8. उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर बोली की 15% राशि जमा करवानी होगी। निर्धारित समयावधि के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गई ई.एम.डी. राशि को जब्त कर लिया जाएगा और भूमि की नीलामी स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी (Automatically Stand Cancelled)।

9. बोली नीलामी की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदन या अस्वीकृत के अधीन होगी और बोली स्वीकृति के 2 दिवस में Demand Notice जारी किया जाएगा।

10. बोली नगर निगम महापौर के अनुमोदन के अधीन होगी। किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है।

11. बोली स्वीकृत के बाद सफल बोलीदाता नीलामी की तिथि से 120 दिनों के भीतर बोली राशि की 35% राशि जमा करेगा। यदि बोलीदाता 120 दिनों के भीतर 35% राशि जमा कराने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि समाप्ति के बाद बोलीदाता अगले 60 दिनों में या विस्तारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि यह नीलामी तारीख से 15% की दर से ब्याज सहित शेष राशि जमा कर सकता है।

12. सफल बोलीदाता नीलामी की तारीख से 180 दिनों के भीतर बोली शेष राशि का 50% जमा करेगा। यदि बोलीदाता 180 दिनों के लिये 50% जमा करने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि समाप्ति के बाद लगने वाले अगले 90 दिनों में देय राशि पर नीलामी की तारीख से ब्याज सहित शेष राशि जमा करवा सकता है।

13. लीज-डीड निष्पादन का खर्चा क्रेता स्वयं वहन करेगा।

14. यदि सफल बोलीदाता डिमांड नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करता है तो उसे बोली राशि की 1% छूट मिलेगी।

15. क्रेता स्वयं के अलावा अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की ओर से भाग लेने पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(अ) अन्य व्यक्ति की ओर से भाग लेने पर नोटेरी से प्रमाणित अधिकार पत्र निर्धारित नॉन-ज्युडिशियल पेपर पर।

(ब) फर्म कम्पनी की ओर से भाग लेने नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित अधिकार पत्र निर्धारित नॉन-ज्युडिशियल पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

16. बोली 1000/- रूपये से कम की स्वीकार नहीं की जावेगी।

17. नीलामी की बोली कम प्राप्त होने पर बोली अगले दिन निरन्तर रखी जा सकती है।

18. भवन निर्मांध की स्वीकृति के समय बीकानेर नगर निगम विनियम 2020 के प्रवधान लागू होंगे।

19. नगर निगम द्वारा बकाया राशि जो शर्त संख्या 6 से 10 में वर्णित किया गया है उसमें किसी भी राशि का बकाया नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। यह भूखण्ड क्रेता की जिम्मेदारी है कि स्वयं राशि जमा करें अन्यथा समय पश्चात Automatic Stand Cancel हो जाएगी।

20. भूखण्ड का मौके पर माप के अनुसार प्रतिफल मूल्य होगा।

11/10/2022

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

महापौर
बीकानेर नगर निगम